

न्यायालय राजरव मण्डल, मध्यप्रदेश, वालियर

समक्षः एम०के० सिंह
रादरय

प्रकरण क्रमांक अपील 479-एक १०८ विरुद्ध आदेश नंगाल १३ अप्रैल २०१२
द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा वाला विधायक ३४/१०८ २०१२-१२

- १— श्रीमतल बरसीरन पत्नी स्व. गुलाम मोहम्मद
२३— श्रीमती नूरन पत्नी स्व. शहजाद
२४— अमरम तनय स्व. शहजाद
३— महेश पिता स्व. गुलाम मोहम्मद
४— बबलू उर्फ नबाव पिता रहमाम मोहम्मद
५— श्रीमती सितारा बेगम पत्नी स्व. सलोम मोह
सभी निवासीगण कपर्णी बाग वाला
जिला सतना म.प्र.

विरुद्ध

- १— अब्दुल करीम तनय शेख मंसुरी (भूतक) वारिसान

- अ— श्रीमती सावरा दाता अब्दुल करीम
ब— मो. हारून पुत्र स्व. अब्दुल इसान
स— मो. मारुख पुत्र अब्दुल करीम
द— श्रीमती बेवी पुत्री स्व. अब्दुल करीम
सभी निवासीगण कपर्णी बाग वाला
जिला सतना म.प्र.

- २— अब्दुल रहमान (भूत)

- अ— श्रीमती राविया पत्नी अब्दुल रहमान
ब— मो. इरफान पिता स्व. अब्दुल रहमान
स— मो. इमरान पिता स्व. मो. रहमान
द— मो. रिजावान पिल स्व. मो. रहमान
इ— मो. रेहान पिता स्व. मो. रहमान

- ३— अब्दुल रज्जाक पिता स्व. बुसुके वाला वरिसान

- अ— फज्जू पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक
ब— रियाज पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक
स— इस्ताक पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक
द— गुड्डू पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक
इ— रुबी पुत्री स्व. अब्दुल रज्जाक
फ— मदोला पुत्री स्व. अब्दुल रज्जाक
य— नीलू पुत्री स्व. अब्दुल रज्जाक

र— सालू पुत्री स्व. अब्दुल राजानु
सभी निवासीगण कमर्ने बाग सतरण
जिला सतना म.प्र.

४— मो. मुस्ताक (मृत)

- अ. मो. मुस्ताक (मृत)
- ब. मो. जावेद पिता स्व. मो. मुस्ताक
- स. मो. तवरेज पिता स्व. मो. मुस्ताक
- द. मो. जुबेद पिता स्व. मो. मुस्ताक
- ई. मो. सुएव पिता स्व. मो. मुस्ताक
सभी निवासीगण कमर्ने बाग सतना
जिला सतना म.प्र

— — — प्राकामो ए यश्चीमा (आधिकारिक)

श्री मुकेश नारायण परिवर्का ज्ञापेत्य
श्री एंटीको तेवाँ अधिवक्ता प्रत्यर्थीः

आदेश

(आज दिनांक १६-१८ अप्रैल को पारित)

यह निगरानी अपर आद्युक्त गवा सभानि रोपनि के बजार ५५
५१९/अपील/११-१२ में पारित आदेश दिनांक २३-१-१३ के अस्त्रहृष्ट अप्रैल १९५९
संहिता, १९५९ (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) को धारा ४४-२ के उल्लेख पैश करते हैं।

१। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में हुआ प्रकार है कि आदेशकार्यालय दिल्ली सरायाकरुण
मा नजूल विभाग सतना नगर एवं नजूल शीर कमांक ४० डी. एल इमार १४
रकवा ५८१ वर्गफुट के वारिसान नामात्मक हुंतु आवेदन दिया गया के उक्त इमार से विभाग से गुलाम मो. तनयम अहमद खान रखा कपनी बाग सतरण के नाम संजुर २८
गलम मोहम्मद की मृत्यु दिनांक १५.४.९ में हो दृक्को है तथा उक्त लोग मुतक के गोप्ता
हैं जिनके नामातरण को लायाई के उपरे हुगो बोन डेन्नारेण स्प्राइट
ननावेदक कमांक २ लगायत ५ द्वारा भा. परिवरण ना आगात पैश की दूर तरह ३.०५.
का विवादित स्थल के संबंध में उन्हें स्वत्व न आधिपत्य न दिना कहते हुए इस सम्बन्ध
शासाधिकारी होना कहा गया विचारण न्यायालय द्वारा अवैधत को पक्ष में लाया गया
आदेश पारित किया गया। इससे उपर्युक्त अन्यात्रक के गोप्ता अम्बला कराया

द्वारा अधीनरथ न्यायालय में अपेल आश की गई जिसमें अपर आयुक्त ने आदानप्रदान परित करते हुए विचारण न्याय नष्ट किया है। 'वैदिक' के पास यह बहुत

३/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकाशित नियामकारण अभिलेख उपरान्त पर किये गये अनुरोध किया गया है।

४/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रत्यक्ष दिए गये हैं।

५/ अभिलेख का अवलोकन किया जाए और आवेदक अधिवक्ता ने नियामकी मामले पर तर्कों एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में उत्तर तर्कों पर जवाब दिया। यह प्रकरण नजूल भूमि के नामांतरण एवं संबंध में है जिसका उत्तराधिकारी ने अभिलेख के अवलोकन उपरात यह कहा गया है कि नजूल उधेकरी द्वारा पराणी सभी पक्षों को सुने बिना तथा संबोधित रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आदेश कानून द्वारा नियुक्ति के अधिकारी द्वारा परित नहीं किया गया है बल्कि उनकी अनुपर्याप्ति में लिंक अधिकारी आदेश दिया है इस कारण सबत उदाश सक्षम अधिकारी द्वारा परित किया जाएगा माना जा सकता। उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आर्टिलरी स्वीकार करते हुए नजूल अधिकारी का आदेश न्यरस्त 'केप्रार' के अनुसार उत्तराधिकारी के उपरात अपर आयुक्त ने उसे आश्रित ठिकाने हैं। इह आमे नेथरलैंड अधिकारी हैं जो रखे जाने योग्य हैं। अपर आयुक्त ने आदानप्रदान कोई अधिक वा रणाधिक इच्छा नहीं जिस कारण उनके आदेश में हस्तक्षेप जावश्यक हो।

परिणामतः यह नियामकी नियस्त वंश जाती है तथा अधीन उपाधान आदेश रिथर रखा जाता है।

(एगो कै० सिंह)
रादस्य

राजाव महल, मध्यप्रदेश
राजलियर